CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 29 अंक- 154 रायपुर, शनिवार 27 जून 2026 पृष्ठ-8 मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

अवैध खनन-परिवहन में लगे 3 जेसीबी और 3 ट्रैक्टर जब्त

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत पर हुई कार्रवाई

रायपुर, 27 जून (हाईवे चैनल)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में कलेक्टर डॉ. संतोष देवांगन के निर्देश पर जिला खनिज उड़नदस्ता दल ने अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 जेसीबी मशीन तथा 3 ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया है। यह कार्रवाई राज्य सरकार की शून्य सहिष्णुता की नीति को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू किए जाने का प्रमाण है।

जिले के देवराजपारा-सधवानी तथा बंधी-बचरवार क्षेत्र में खनिज मुरूम एवं मिट्टी के अवैध उत्खनन की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल जांच कराई गई। वहीं सिलपहरी क्षेत्र में खनिज रेत के अवैध परिवहन की सूचना पर भी खनिज विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहनों को जप्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान देवराजपारा-सधवानी क्षेत्र से दो जेसीबी, बंधी-बचरवार क्षेत्र से एक जेसीबी तथा सिलपहरी क्षेत्र से रेत परिवहन में लगे तीन ट्रैक्टर वाहनों को जब्त कर सुरक्षित रूप से पुलिस लाइन अमरपुर में रखा गया है।

उल्लेखनीय है कि सधवानी के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1076 तथा कलेक्टर के समक्ष अवैध उत्खनन की शिकायत दर्ज कराई थी। मुख्यमंत्री की जनहितकारी शिकायत निवारण व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर कलेक्टर डॉ. संतोष देवांगन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए खनिज विभाग को जांच एवं आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला प्रशासन की सक्रियता और खनिज विभाग की तत्परता से शिकायत पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की गई, जिससे आमजन का शासन-प्रशासन पर विश्वास और मजबूत हुआ है। कलेक्टर डॉ. संतोष देवांगन ने स्पष्ट किया है कि जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन अथवा भंडारण जैसी किसी भी गतिविधि को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नियमित निगरानी, सतत निरीक्षण तथा शिकायत प्राप्त होते ही तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जिले की प्राकृतिक संपदा का संरक्षण हो सके और शासन को राजस्व की क्षति न पहुंचे।

खनिज विभाग के अनुसार जप्त किए गए सभी वाहनों के मालिकों के विरुद्ध खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। नियमानुसार अर्थदंड एवं समझौता राशि निर्धारित खनिज मद में जमा कराने के बाद ही संबंधित वाहनों को मुक्त किया जाएगा।

भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने की पुष्टि

नई दिल्ली, 27 जून (न्यूज चैनल)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द भारत का दौरा करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इसकी पुष्टि की है। रुबियो ने एक इंटरव्यू में बताया कि वे खुद ट्रंप के भारत के ऐतिहासिक दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं और इसके लिए वे जल्द भारत आएंगे। रुबियो ने बताया कि ट्रंप प्रशासन अगले साल की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे की तैयारियां कर रहा है। यह भारत और अमेरिका के रिश्तों में बढ़ती नजदीकी को रेखांकित करता है, क्योंकि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं। व्हाइट हाउस में न्यूज एजेंसी आईएएनएस को दिए एक इंटरव्यू में रुबियो ने कहा, मैं साल के अंत में राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे की तैयारियों के सिलसिले में भारत की यात्रा करूंगा। भारत-अमेरिका के संबंधों को लेकर रुबियो ने कहा कि दोनों देशों के संबंध मजबूत स्थिति में हैं और जी7 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई हालिया मुलाकात के बाद भारत-अमेरिका संबंधों में बेहतरी हुई है।

ब्रेकिंग न्यूज

7 साल के मासूम का वजन हो गया 116 किलो, मां-बाप ने दी दर्दनाक मौत

नई दिल्ली, 27 जून (न्यूज चैनल)। अमेरिका के मिशिगन में एक दंपति पर अपने सात वर्षीय बेटे की मौत के मामले में सेकेंड-डिग्री मर्डर (द्वितीय श्रेणी हत्या) का आरोप लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि बच्चे को समय पर चिकित्सकीय देखभाल नहीं मिलने और गंभीर लापरवाही के कारण उसकी जान गई। मृतक बच्चे की पहचान कैस्पर ओब्रायन (ष्टण के रूप में हुई है। उसकी लंबाई करीब 1.3 मीटर (4 फीट 2.5 इंच) थी, जबकि उसका वजन 255 पाउंड (लगभग 116 किलोग्राम) था, जो उसकी उम्र के हिसाब से बेहद असामान्य और गंभीर मोटापे की श्रेणी में आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, बच्चे की मौत डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के कारण हुई, जो अत्यधिक मोटापे से जुड़ी हृदय संबंधी गंभीर बीमारी है। इस बीमारी में हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और शरीर में पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर पातीं। जांच में सामने आया कि कैस्पर की आखिरी बार फरवरी 2024 में उसके प्राथमिक चिकित्सक ने जांच की थी। डॉक्टर ने उसे तुरंत बाल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भेजने की सलाह दी थी, लेकिन उसके माता-पिता उसे कभी विशेषज्ञ के पास नहीं ले गए।

नीट के बाद अब महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा का पेपर लीक, कल होने वाला एग्जाम किया गया रद्द

नई दिल्ली, 27 जून (न्यूज चैनल)। महाराष्ट्र में परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के एक नए कथित मामले में रविवार को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को रद्द कर दिया गया है। 27 जून 2026 की सुबह, भिवंडी में कुछ लोगों के पास प्रश्न पत्र से जुड़ी जानकारी होने की गुप्त सूचना मिलने पर, भिवंडी पुलिस ने उस जगह पर छापा मारा। इसके बाद, पुष्टि के लिए महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों को बुलाया गया। जांच करने पर पता चला कि इन लोगों के पास मौजूद कुछ सवाल टीईटी जून 2026 के प्रश्न पत्र के सवालों से मेल खाते थे। नतीजतन, भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। मामला प्रकाश में आने पर विपक्षी राजनीतिक दलों ने सरकार पर तीखा हमला किया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के पूर्व महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा, नीट पेपर लीक होने के बाद अब ठाणे में फिर से शिक्षक बनाने वाली टीईटी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। वाह रे भाजपा सरकार! पार्टी चुराते हो, सांसद चुराते हो, विधायक चुराते हो... अरे कम से कम बच्चों के पेपर तो छोड़ दो, वो तो मत चुराओ! वहीं, भिवंडी विधायक रईस शेख ने लिखा, कल नीट, आज टीईटी। अब अगला कौन सा एग्जाम है? पेपर लीक होना अब कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक नाकामी का सबूत है।

चूहा- सुनती हो, आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल अयोध्या में भगवान राम के दर्शन कर आए।

चुहिया- हां जी, आखिरी में तो 'राम' ही सहारा..!

अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियों पर लगाई गई रोक

रायपुर, 27 जून (हाईवे चैनल)। आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। विधानसभा में जिले से संबंधित प्रश्नों के समयबद्ध एवं तथ्यात्मक उत्तर उपलब्ध कराने तथा प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाले विधानसभा मानसून सत्र की अवधि के दौरान जिले के सभी शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा सत्र के दौरान यदि किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को अत्यंत आवश्यक अथवा अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर जाना हो या मुख्यालय छोड़ना हो, तो इसके लिए सक्षम कार्यालय प्रमुख की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त संबंधित विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालय प्रमुख से लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही मुख्यालय छोड़ने अथवा अवकाश पर जाने की अनुमति दी जाएगी।

सक्ती में दिनदहाड़े मर्डरः युवती पर तीन राउंड फायरिंग सिर में गोली लगने से मौके पर ही थम गई सांसें

सक्ती, 27 जून (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से दिनदहाड़े एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। सक्ती थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार सुबह बाइक पर सवार होकर आए दो अज्ञात बदमाशों ने 25 साल की एक युवती की उसके घर के भीतर घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने युवती पर बेहद नजदीक से तीन राउंड गोलियां चलाईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद से पूरे इलाके के लोग दहशत में हैं और गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतका की पहचान पूर्णिमा चौहान के रूप में हुई है, जो पिछले चार साल से पंजाब की एक निजी कंपनी में काम करती थी। शुक्रवार सुबह करीब ग्यारह बजे जब पूर्णिमा अपने घर पर मौजूद थी, तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक वहां पहुंचे। उनमें से एक बदमाश हथियार लहराते हुए सीधे घर के अंदर घुस गया, जबकि उसका दूसरा साथी बाहर ही बाइक स्टार्ट कर खड़ा रहा। अंदर घुसे युवक ने परिवार वालों से पूर्णिमा के बारे में पूछा और जैसे ही पूर्णिमा अपने कमरे से बाहर आई, आरोपी ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी।

आरोपी द्वारा चलाई गई गोलियां पूर्णिमा के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में जा लगीं। गोलीबारी की तेज आवाज सुनकर जब परिवार के बाकी सदस्य दौड़कर आंगन में आए, तो पूर्णिमा खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ी थी। घटना को अंजाम देकर दोनों आरोपी अपनी बाइक से तेजी से फरार हो गए। परिजनों ने तुरंत पुलिस को फोन किया, जिसके बाद आपातकालीन वाहन की टीम ने गंभीर हालत में युवती को पास के अस्पताल पहुंचाया।

हाईकोर्ट की 2026 स्टेटस रिपोर्टः भूपेश बघेल, लखमा समेत 15 से अधिक सांसद-विधायकों के खिलाफ 20 से ज्यादा मामलों की सुनवाई जारी

बिलासपुर, 27 जून (हाईवे चैनल)। हाईकोर्ट ने 2026 की स्टेटस रिपोर्ट जारी की है। जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 15 से अधिक सांसद, विधायक समेत अन्य नेताओं के खिलाफ 20 से अधिक गंभीर आपराधिक मुकदमों में सुनवाई चल रही है। इस सूची में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, देवेन्द्र यादव, विधायक कवासी लखमा, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव समेत कई पूर्व व वर्तमान विधायकों के मामलों की नियमित रूप से फास्ट ट्रैक कोर्ट में मॉनिटरिंग व सुनवाई जारी है।

सबसे ज्यादा हाईप्रोफाइल मामला राजधानी रायपुर की विशेष अदालतों में चल रही है। इन अदालतों में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कैलाश मुरारका और विजय भाटिया के खिलाफ आपराधिक मामला विचाराधीन है। इसके अलावा रायपुर के ही प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय में वर्तमान विधायक कवासी लखमा के खिलाफ एसीबी के विशेष मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला विचाराधीन है। वहीं हाईप्रोफाइल मामलों में बिलासपुर के सीजेएम कोर्ट में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत आगामी महीने में आरोप तय होने हैं। इसके अलावा राजनांदगांव के विशेष न्यायालय में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और मोहम्मद खालिद के खिलाफ जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण अधिनियम के तहत छह अलग-अलग मामले चल रहे हैं। इनमें से तीन मामलों में आरोपी नेताओं को राहत भी मिल चुकी है। वहीं प्रदेश के जांजगीर चांपा जिले में आरोपी बालेश्वर साहू और गौतम राठौर के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत आईपीसी की धारा 420 और मारपीट के मामलों में जिला न्यायालय में अभियोजन साक्ष्य की प्रक्रिया जारी है।

महिला को ब्लैकमेल कर रहे भूपेश को बदनाम करने वाले दो यूट्यूबर, एफआईआर दर्ज

दुर्ग, 27 जून (हाईवे चैनल)। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े कथित इंस्टाग्राम चैट विवाद में फंसे दो यूट्यूबर्स सागर साहू और पुष्पराज सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ ब्लैकमेलिंग और उगाही के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(2) के तहत दूसरी एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के अनुसार, उमदा निवासी नेहा मिश्रा ने 25 जून को पुरानी भिलाई थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। नेहा पिछले पांच वर्षों से ग्राम उमदा में ग्राहक सेवा केंद्र चलाती हैं। शिकायत में बताया गया है कि कुछ समय पहले सागर साहू अपने साथी पुष्पराज सिंह के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराने के बहाने उनके कार्यालय पहुंचे थे। आरोप है कि उन्होंने बातचीत को तोड़-मरोड़कर वीडियो तैयार किया और उसे समाचार के रूप में वायरल करने की प्लानिंग की।

महिला ने आरोप लगाया है कि 3 जून को वीडियो हटाने के बदले उनसे 50 हजार रुपए की मांग की गई। बदनामी के डर से नेहा ने अपनी जमा पूंजी से 35 हजार रुपए आरोपियों को दिए। शिकायत के अनुसार, रकम मिलने के बाद वीडियो हटा दिया गया था। हालांकि, बाद में आरोपियों ने उनसे फिर दो लाख रुपए की मांग की। पैसे न देने पर महिला को बदनाम करने और नए वीडियो जारी करने की धमकी दी गई।शिकायत में यह भी कहा गया है कि दो लाख रुपए न देने पर आरोपियों ने तीन से अधिक अलग-अलग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। इससे महिला की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और उन्हें अपने ग्राहक सेवा केंद्र जाने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है।महिला ने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी अन्य महिला को इस तरह की कथित साजिश का शिकार न होना पड़े।

फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटकाः दिग्गज डायरेक्टर के. भाग्यराज का निधन

नई दिल्ली, 27 जून (न्यूज चैनल)। दिग्गज तमिल एक्टर, डायरेक्टर और स्क्रीनराइटर के. भाग्यराज का शनिवार को चेन्नई में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। वे 73 साल के थे। कार्डियोपल्मोनरी कार्डियक अरेस्ट के बाद भाग्यराज को चेन्नई के ग्रीनवेज इलाके में अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। मेडिकल कोशिशों के बावजूद, मशहूर फिल्ममेकर का 27 जून 2026 को निधन हो गया। ङ्ग पर एक पोस्ट में, तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने दिग्गज फिल्ममेकर के निधन पर दुख जताया।

संदेश में कहा गया, दिग्गज तमिल फिल्म डायरेक्टर और राइटर थिरु के. भाग्यराज का निधन सिनेमा की दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान है। उनकी अनोखी कहानी कहने की कला, क्रिएटिव हुनर और तमिल सिनेमा में उनके बड़े योगदान ने उन्हें दर्शकों के दिलों में एक खास जगह दिलाई है। उनकी विरासत फिल्ममेकर्स और फिल्म प्रेमियों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मैं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत चाहने वालों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी आत्मा को शांति मिले। 7 जनवरी 1953 को जन्मे कृष्णस्वामी भाग्यराज तमिल सिनेमा के सबसे प्रभावशाली फिल्ममेकर्स में से एक थे, जिन्हें स्क्रीनप्ले का राजा माना जाता था। दशकों लंबे करियर में, उन्होंने आम मिडिल-क्लास किरदारों, मज़ेदार डायलॉग और भावनात्मक रूप से जोड़ने वाली कहानियों के ज़रिए मेनस्ट्रीम स्टोरीटेलिंग को बदल दिया। भाग्यराज ने सुवरिल्लाथा चिथिरांगल (1979) से डायरेक्टर के तौर पर शुरुआत की, जो कैमरे के पीछे उनके शानदार सफ़र की शुरुआत थी। बाद में उन्होंने कई यादगार फ़िल्में दीं, जिनमें अंधा 7 नाटकाल (1981), मुंधनाई मुदिचू (1983), चिन्ना वीडु (1985) और एंगा चिन्ना रासा (1987) शामिल हैं। एंगा चिन्ना रासा से प्रेरित होकर भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री में कई रीमेक बने, जिनमें हिंदी की ब्लॉकबस्टर फ़िल्म बेटा भी शामिल है।

छात्रावासों में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, भृत्य और अधीक्षक निलंबित

रायपुर, 27 जून (हाईवे चैनल)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के संकल्प के अनुरूप सुकमा जिले में छात्रावासों एवं आश्रमों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने जिला प्रशासन सक्रिय है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 प्रारंभ होने से पहले कलेक्टर के नेतृत्व में छात्रावासों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें लापरवाही और अव्यवस्था पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए भृत्य और अधीक्षक को निलंबित किया गया। 25 जून को कलेक्टर एवं सहायक आयुक्त द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में कई छात्रावासों एवं आश्रमों में साफ-सफाई की कमी, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अनुपस्थिति तथा संचालन में लापरवाही जैसी गंभीर कमियां पाई गईं। पूर्व में समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के बावजूद सुधार नहीं होने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया।

निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताओं के आधार पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध निलंबन तथा प्रभार से पृथक करने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दायरे में कन्या आश्रम दुब्बाटोटा की अधीक्षिका सुशीला कवासी, प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास दुब्बाटोटा के अधीक्षक पुनेम हिरमा, पोस्ट-मैट्रिक कन्या छात्रावास की अधीक्षिका सविता यादव तथा प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास के श्री भोजराज ठाकुर शामिल हैं। छात्रावासों का संचालन प्रभावित न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने तत्काल वैकल्पिक अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी है।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि छात्रावासों और आश्रमों में अध्ययनरत बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और सुविधाओं के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन की मंशा के अनुरूप सभी संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिला प्रशासन की यह कार्रवाई शासकीय छात्रावासों और आश्रमों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे व्यवस्थाओं में सुधार आएगा, अनुशासन मजबूत होगा और विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सुशासन की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है।

CMYK